न्यायालय सहायक कलक्टर ,रानीवाडा, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाश चन्द्र अग्रवाल, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 44/2020

वादीगण

1. कांतिलाल पुत्र तलकाराम
2. मृतक विशाराम पुत्र तलकाराम व जमनादेवी पत्नि तलकाराम के का.मू. वारीसान–
   2/1 नितेश
   2/2 प्रवीण पिसरान विशाराम
   2/3 करीना कुमारी पुत्री विशाराम नाबालिंग जरिये संरक्षक वली चाचा कांतिलाल पुत्र तलकाराम जातियान गरूड़ा(गर्ग) निवासीयान पाल तहसील रानीवाडा जिला जालोर

प्रतिवादीगण

1. वीराराम पुत्र तेजाराम
2. सोनी पत्नि तेजाराम जातियान गरूड़ा(गर्ग) निवासी पाल तहसील रानीवाडा हाल निवासी हाड़ेतर तहसील सांचोर तहसील सांचोर जिला जालोर
3. प्रकाश कुमार पुत्र खेताराम जाति मेघवाल निवासी हीरपुरा तहसील रानीवाडा
4. भूमिधारी तहसीलदारजी रानीवाडा
5. उप पंजीयक रानीवाडा
6. हल्का पटवारी पटवार हल्का कुड़ा
7. शाखा प्रबन्धक आई.सी.आई.सी.आई बैंक शाखा रानीवाडा

दावा बाबत बंटवाड़ा खातेदारी आराजी व स्थाई निषेधाझा अन्तर्गत धारा 53, 188 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

1. वादी अधिवक्ता श्री श्रवणसिंह देवड़ा
2. प्रतिवादी संख्या 1 से 3 अधिवक्ता श्री पूखराज विश्नोई
3. प्रतिवादी संख्या 4 राजपेरोकार तहसीलदार रानीवाडा

–: निर्णय :–

दिनांक 22.06.2021

1. वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अंतर्गत धारा 53, 188 बाबत् बंटवाडा खातेदारी आराजी व स्थाई निषेधाझा का वाद पेश किया है। जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की सामलाती व संयुक्त खातेदारी पूश्तैनी आराजी मौजा जालेरा कलां तहसील रानीवाडा में खाता संख्या 221 खसरा नम्बर 15 ,16 ,19, 20, 21, 22, 23 रकबा क्रमश 0.04, 0.08, 2.24, 0.06, 0.01, 2.24 हेक्टेयर जूमले रकबा [illegible] हैक्टेयर तथा मौजा पाल में खाता संख्या 222 मे खसरा नम्बर 100, 102, 103, 105, [illegible] रकबा क्रमश 0.27, 0.08, 0.68, 2.25, 2.34 हैक्टेयर जूमले रकबा 5.62 हैक्टेयर [illegible] हुई है। उक्त आराजी की खातेदारी वर्तमान राजस्व रेकर्ड में कांतिलाल पुत्र तलकाराम हिस्सा 1/6, [illegible]देवी पत्नि तलकाराम हिस्सा 1/6, विशाराम पुत्र तलकाराम हिस्सा 1/6, वीराराम पुत्र तेजाराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.08.06 18:10:21 IST
Reason: SelfAttested

हिस्सा 1/4, सोनी पत्नि तेजाराम हिस्सा 1/4 जाति गरूड़ा सा. देह खातेदार के नाम दर्ज हैं। खातेदार विशाराम की मृत्यु हो चूकी जिसके कायम मुकाम वारीसान 2/1 व 2/2 हैं तथा खातेदार जमनादेवी पत्नि तलकाराम की भी मृत्यु हो चूकी हैं, जिनके कायम मूकाम वारीसान वादी संख्या 1 व वादी संख्या 2/1 से 2/2 हैं। प्रतिवादी संख्या 2/1 व 2/2 नाबालिंग हैं, उनके माता पिता की मृत्यु हो चूकी हैं वादी संख्या 1 चाचा की हैसियत से उनका संरक्षक हैं तथा इनका लालन पालन वादी संख्या 1 करता हैं। वादग्रस्त आराजी वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की संयुक्त व पुश्तैनी सामलाती खातेदारी होने से तथा उक्त आराजी का विधिवत बंटवाडा करवाये बिना उक्त आराजी के किसी भी खातेदार को उक्त आराजी का अजनबी क्रेता को बेचान करने का अधिकार नहीं है। वादग्रस्त आराजी वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की सामलाती व संयुक्त खातेदारी की होने के बावजूद प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने उपरोक्त आराजीयान में से अपना सम्पूर्ण 1/2 हिस्सा का बैचान प्रतिवादी संख्या 3 जो कि वादीगण के लिये अजनबी क्रेता हैं, को दिनांक 12.10.2020 को कर दिया तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 प्रतिवादी संख्या 4 व 6 से मिलावट कर उक्त बैचान दस्तावेज के आधार पर प्रतिवादी संख्या 3 के हक में नामान्तरकरण भरवाने पर आमदा है। प्रतिवादी संख्या 3 के साथ काश्त करने की वादीगण को कभी आवश्यकता नहीं पड़ी। प्रतिवादी संख्या 3 वादीगण के लिये अजनबी क्रेता हैं तथा प्रतिवादी संख्या 3 अजनबी क्रेता होने से उसे वादग्रस्त आराजी का विधिवत बंटवाडा करवाये बिना उक्त आराजी में प्रवेश करने का कोई अधिकार हासिल नहीं है। तथा वादग्रस्त आराजी वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की सामलाती व संयुक्त खातेदारी की आराजी होने से तथा वादीगण का उक्त आराजी में 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 1/2 हिस्सा खातेदारी का होने से वादीगण उक्त आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर व मौके पर कब्जे काश्त की सुविधानुसार बंटवाडा करवा कर उक्त आराजी में से वादी संख्या 1 को 1/4 हिस्सा व वादी संख्या 2/1 से 2/2 को 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को 1/2 हिस्सा बंटवाडा करवा कर अलग बंट में दिलवाने के अधिकारी होने से तथा प्रतिवादी संख्या 3 वादग्रस्त आराजी का अजनबी क्रेता होने से वादीगण ,प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के विरूद्व इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं कि बिना बंटवाडा करवाये उक्त बैचान दस्तावेज के आधार पर प्रतिवादी संख्या 3 के हक में नामान्तरकरण प्रतिवादी संख्या 4 व 6 द्वारा भरकर स्वीकृत नहीं करे तथा बाद बंटवाडा वादीगण के बंट की उक्त आराजी में वादीगण के कब्जे काश्त में प्रतिवादीगण न तो स्वयं दखल करे तथा न ही किसी अन्य से कोई दखल करावे। जिस हेतु वादीगण की ओर से यह दावा बाबत बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश है।

2. वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को समन जारी किये गए। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर अधिवक्ता श्री पूखराज विश्नोई द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का हिस्सा 3 को बैचान होने से प्रतिवादी संख्या 3 के नाम नामान्तरकरण हो जाने इनकी ओर से जवाब नहीं दिया गया। तथा प्रतिवादी संख्या 3 की ओर उक्त आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर व मौके पर कब्जे काश्त की सुविधानुसार बंटवाडा करवा करने का निवेदन किया गया। प्रतिवादी संख्या 4 राजपेरोकार द्वारा जवाब नहीं देने पर जवाब बंद किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.08.06 18:10:21 IST
Reason: SelfAttested

3. दिनांक 23.03.2021 को न्यायालय द्वारा वादी व प्रतिवादीगण अधिवक्ता के निवेदन पर खातेदारो के हक हिस्से अनुसार मौजा [illegible] तहसील रानीवाडा में खाता संख्या 221 के खसरा नम्बर 15 ,16 ,19, 20, 21, 22, 23 रकबा क्रमश 0.04, 0.08, 2.24, 0.06, 0.01, 2.24 हेक्टेयर जूमले रकबा 4.75 हैक्टेयर तथा मौजा पाल में खाता संख्या 222 मे

खसरा नम्बर 100, 102, 103, 105, 97 रकबा क्रमश 0.27, 0.08, 0.68, 2.25, 2.34 हैक्टेयर जूमले रकबा 5.62 हैक्टेयर के मीट्स एण्ड बाउण्ड के जरिये बंटवाडा प्रस्ताव के प्राथमिक डिक्री के आदेश तहसीलदार रानीवाडा को किये गये। तथा तहसीलदार रानीवाडा को पत्रांक/कोर्ट/2021/349 दिनांक 25.03.2021 के द्वारा तहसीलदार रानीवाडा से प्राथमिक डिक्री की पालना मंगवाई गई।

4. दिनांक 22.06.2021 को उभयपक्षकारान् द्वारा उक्त वाद में राजीनामा पेश किया गया। उभयपक्षकार की पहचान इनके अधिवक्ता द्वारा की गई। उभयपक्षकर द्वारा राजीनामें में निवेदन किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की सम्पूर्ण 1/2 हिस्सा की कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 3 ने खरीद कर खातेदारी में नाम दर्ज हो जाने से उक्त राजीनामा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा पेश किया जा रहा हैं। उक्त प्रकरण में दो अलग–अलग गांवों में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 3 के सामलाती 1/2–1/2 हिस्से के कृषि भूमि आई हुई हैं जिसके काश्तकार समान इसलिए लोक अदालत की भावना से उभय पक्षकारान स्वेच्छा से आपसी सहमति से बंटवाडा कर कृषि भूमि अपने–अपने राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार विभाजन करवाना चाहते हैं जो निम्न प्रकार है–

अ. **वादीगण कान्तिलाल पुत्र तलका, मृतक जमनादेवी पत्नि तलका के कायम मुकाम कान्तिलाल पुत्र तलका नाबालिग नितेश कुमार पुत्र विसाराम नाबालिग प्रवीणकुमार पुत्र विसाराम नाबालिंग करीना कुमारी पुत्री विसाराम जरिये कुदरती वली बडे पिता कान्तिलाल पुत्र तलका व मृतक विसाराम के प्रथम श्रेणी के वारीसान कायम मूकाम नाबालिग नितेश कुमार पुत्र वीसाराम , प्रवीणकुमार पुत्र विसाराम, करीनाकुमार पुत्र विसाराम जरिये कुदरती वली बडे पिता कान्तिलाल पुत्र तलका जातियान गरूड़ा निवासीयान जालेरा कल्लां तहसील रानीवाडा के बंट में विभाजन हेतु जमीन** :– मौजा पाल तहसील रानीवाडा में खाता संख्या 222 मे खसरा नम्बर 100, 102, 103, 105, 97 रकबा क्रमश 0.27, 0.08, 0.68, 2.25, 2.34 हैक्टेयर जूमले रकबा 5.62 हैक्टेयर। जिसके वर्तमान खातेदार कान्तिलाल पुत्र तलकाराम 1/6 हिस्सा जमनादेवी पत्नि तलकाराम 1/6 हिस्सा विशाराम पुत्र तलकाराम 1/6 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 प्रकाश कुमार पुत्र खेताराम 1/2 हिस्सा राजस्व रेकर्ड में सामलाती रूप से दर्ज है। परन्तु जमनादेवी की मृत्यु हो जाने पर उनके प्रथम श्रेणी के वारिसान कायम मूकाम कान्तिलाल पुत्र तलका, नाबालिग नितेश कुमार पुत्र विसाराम, नाबालिग प्रवीणकुमार पुत्र विसाराम, नाबालिग करीना कुमार पुत्री विसाराम जरिये कुदरती वली बडे पिता कान्तिलाल पुत्र तलका जिसमें से जरिये राजीनामा सम्पूर्ण खसरा नम्बरान 100, 102, 103, 105, 97 जूमले रकबा 5.62 हेक्टेयर कृषि भूमि कि सम्पूर्ण हिस्सा खातेदारी वादीगण कान्तिलाल पुत्र तलका, मृतक जमनादेवी पत्नि तलका के कायम मुकाम कान्तिलाल पुत्र तलका नाबालिग नितेश कुमार पुत्र विसाराम नाबालिग प्रवीणकुमार पुत्र विसाराम नाबालिंग करीना कुमारी पुत्री विसाराम जरिये कुदरती वली बडे पिता कान्तिलाल पुत्र तलका व मृतक विसाराम के प्रथम श्रेणी के वारीसान कायम मूकाम नाबालिग नितेश कुमार पुत्र वीसाराम , प्रवीणकुमार पुत्र विसाराम, करीनाकुमार पुत्र विसाराम जरिये कुदरती वली बडे पिता कान्तिलाल पुत्र तलका जातियान गरूड़ा निवासीयान जालेरा कल्लां तहसील रानीवाडा के बंट में दी जावे। तथा प्रतिवादी प्रकाश कुमार पुत्र खेताराम जाति मेघवाल निवासी हरिपूरा की नाम खातेदारी से 1/2 हिस्से से हटाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.08.06 18:10:21 IST
Reason: SelfAttested

ब. **प्रतिवादी संख्या 3 प्रकाश कुमार पुत्र खेताराम जाति मेघवाल निवासी हीरपुरा तहसील रानीवाडा जिला जालोर के बंट में विभाजन हेतु जमीन** :— मौजा जालेरा कलां तहसील रानीवाडा की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि खाता संख्या 221 के खसरा नम्बर 15 ,16 ,19, 20, 21, 22, 23 रकबा क्रमश 0.04, 0.08, 2.24, 0.06, 0.01, 2.24 हेक्टेयर जूमले रकबा 4.75 हैक्टेयर जिसके वर्तमान खातेदार कान्तिलाल पुत्र तलका 1/6 हिस्सा, जमनादेवी पत्नि तलका 1/6 हिस्सा ,विशाराम पुत्र तलका 1/6 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 3 प्रकाश कुमार पुत्र खेताराम 1/2 हिस्सा कौम मेघवाल राजस्व रेकर्ड में 1/2 हिस्सा की खातेदारी सामलाती रूप से दर्ज हैं, परन्तु जमनादेवी की मृत्यु हो जाने पर उनके प्रथम श्रेणी के वारिसान कायम मूकाम कान्तिलाल पुत्र तलका, नाबालिग नितेश कुमार पुत्र विसाराम, नाबालिग प्रवीणकुमार पुत्र विसाराम, नाबालिग करीना कुमार पुत्री विसाराम जरिये कुदरती वली बडे पिता कान्तिलाल पुत्र तलका एवं विसाराम की मृत्यू हो जाने से उनके प्रथम श्रेणी के वारीसान कायम मूकाम नाबालिग नितेश कुमार पुत्र वीसाराम , प्रवीणकुमार पुत्र विसाराम, करीनाकुमार पुत्र विसाराम जरिये कुदरती वली बडे पिता कान्तिलाल पुत्र तलका जिसमें से कृषि भूमि की सम्पूर्ण खातेदारी प्रतिवादी संख्या 3 प्रकाश कुमार पुत्र खेताराम जाति मेघवाल निवासी हीरपूरा तहसील रानीवाडा जिला जालोर के नाम बंट में दी जावे। तथा वादीगण कान्तिलाल पुत्र तलका, जमनादेवी की मृत्यु हो जाने पर उनके प्रथम श्रेणी के वारिसान कायम मूकाम कान्तिलाल पुत्र तलका, नाबालिग नितेश कुमार पुत्र विसाराम, नाबालिग प्रवीणकुमार पुत्र विसाराम, नाबालिग करीना कुमार पुत्री विसाराम जरिये कुदरती वली बडे पिता कान्तिलाल पुत्र तलका एवं विसाराम की मृत्यू हो जाने से उनके प्रथम श्रेणी के वारीसान कायम मूकाम नाबालिग नितेश कुमार पुत्र वीसाराम , प्रवीणकुमार पुत्र विसाराम, करीनाकुमार पुत्र विसाराम जरिये कुदरती वली बडे पिता कान्तिलाल पुत्र तलका जातियान गरूड़ा निवासीयान जालेरा कलां का नाम 1/2 हिस्से से हटाया जावे। तथा विभाजन की डिक्री माफिक राजीनामा में वर्णित इबारत अनुसार विवादित कृषि भूमि का विभाजन किया जावे जिसमें दोनो पक्षकारान को कोई भी उजर एतराज या विवाद स्वयं व इनकी औलाद को नही हैं नहीं इस विभाजन को लेकर भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई उजर एतराज रहेगा राजी खुशी आम सहमति से उक्त राजीनामा बाबत विभाजन करने बाबत अलग—अलग गांव की जमीन एक चक में पक्षकारान के नाम करने हेतु उक्त राजीनामा पेश हैं।

5. वादी कान्तिलाल पुत्र तलकाजी व प्रकाश कुमार पुत्र खेताराम द्वारा राजीनामा प्रस्तुत करने पर इनकी पहचान उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा करवाई गई। राजीनामा की इबारत पढ़कर सुनाई गई। उभयपक्षकार द्वारा सूनकर इबारत बाबत राजीनामा सही व सत्य होना स्वीकार किया गया। तथा माफिक राजीनामा विवादीत कृषि भूमि का अंतिम विभाजन डिक्री करने का निवेदन किया गया। अतः उभयपक्ष द्वारा पेश राजीनामा तस्दीक किया गया।

6. वादी द्वारा प्रस्तुत वाद संलग्न दस्तावेज व राजीनामा का अवलोकन किया गया। उभयपक्षकारान द्वारा लोक अदालत की भावना से स्वेच्छा से आपसी सहमति से बंटवाडा करवाना चाहते है। प्रस्तुत राजीनामा का अवलोकन किया गया। अतः राजीनामा अनुसार बंटवाडा किया जाना उचित प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में उभयपक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 3 के बीच बंटवाडा की अंतिम डिक्री निम्नानुसार जारी की जाति हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.08.06 18:10:21 IST
Reason: SelfAttested

(अ) मौजा पाल के खाता संख्या 222 मे खसरा नम्बर 100, 102, 103, 105, 97 रकबा क्रमश 0.27, 0.08, 0.68, 2.25, 2.34 हैक्टेयर जूमले रकबा 5.62 हैक्टेयर।

क्र. स	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टे0 में	बंटवाडे में आया रकबा हैक्ट0 में	किस्म	लगान राशि
1.	कान्तिलाल पुत्र तलका, मृ0 जमनादेवी पत्नि तलका के का. मु. कान्तिलाल पुत्र तलका नाबालिग नितेश कुमार पुत्र विसाराम प्रवीणकुमार पुत्र विसाराम करीना कुमारी पुत्री विसाराम जरिये कुदरती वली बडे पिता कान्तिलाल पुत्र तलका व मृ. विसाराम के प्रथम श्रेणी के वारीसान कायम मूकाम नाबा. नितेश कुमार पुत्र वीसाराम , प्रवीणकुमार पुत्र विसाराम, करीनाकुमार पुत्र विसाराम जरिये कुदरती वली बडे पिता कान्तिलाल पुत्र तलका जातियान गरूड़ा निवासीयान जालेरा कल्लां	100	0.27	0.27	गै.मू	
		102	0.08	0.08	बारानी दोयम	नियमानुसार
		103	0.68	0.68	बारानी दोयम	
		105	2.25	2.25	बारानी दोयम	
		97	2.34	2.34	बारानी दोयम	

(ब) मौजा जालेरा कलां तहसील रानीवाडा की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि खाता संख्या 221 के खसरा नम्बर 15 ,16 ,19, 20, 21, 22, 23 रकबा क्रमश 0.04, 0.08, 2.24, 0. 06, 0.01, 2.24, 0.08 हेक्टेयर जूमले रकबा 4.75 हैक्टेयर ।

2.	प्रकाश कुमार पुत्र खेताराम 1/2 हिस्सा कौम मेघवाल	15	0.04	0.04	बा.प्र.	नियमानुसार
		16	0.08	0.08	गै.मू. वाली	
		19	2.24	2.24	चा. दो. जा.दो.	
		20	0.06	0.06	गै.मू. आबादी	
		21	0.01	0.01	गै.मू.बेरा	
		22	2.24	2.24	चा. दो. जा.दो.	
		23	0.08	0.08	गै.मू.रास्ता	

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021-08-06 16:10:21 IST
Reason: SelfAttested

7. उक्त प्रस्तावित बंटवारे के अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 3 के बीच पृथक पृथक खाते खोलकर एवं मोमीया नक्शा में तरमीम कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार रानीवाड़ा को आदेशित किया जाता है। तथा उक्त बंटवारा अनुसार वादी व

प्रतिवादी संख्या 3 के हक में प्राप्त आराजी के सम्बन्ध में एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी न करे न किसी अन्य से करावें इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है।

पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करें। उक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी की जावे।

प्रकाश चन्द्र अग्रवाल)
सहायक कलेक्टर
रानीवाडाजिला–जालोर

निर्णय आज दिनांक 22.06.2021 से सरे इजलाज सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
रानीवाड़ा जिला–जालोर

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.08.06 18:10:21 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल्स 6—7, जाब्ता दीवानी)

(civil procedure code, Appendix “D”-1)

अज अदालत सहायक कलेक्टर रानीवाडा जिला जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाश चन्द्र अग्रवाल आर.ए.एस.

वादी		प्रतिवादीगण
1. कांतिलाल पुत्र तलकाराम 2. मृतक विशाराम पुत्र तलकाराम व जमनादेवी पत्नि तलकाराम के का.मू. वारीसान— 2/1 नितेश 2/2 प्रवीण पिसरान विशाराम 2/3 करीना कुमारी पुत्री विशाराम नाबालिंग जरिये संरक्षक वली चाचा कांतिलाल पुत्र तलकाराम जातियान गरूड़ा(गर्ग) निवासीयान पाल तहसील रानीवाडा जिला जालोर	बनाम	1. वीराराम पुत्र तेजाराम 2. सोनी पत्नि तेजाराम जातियान गरूड़ा(गर्ग) निवासी पाल तहसील रानीवाडा हाल निवासी हाड़ेतर तहसील सांचोर तहसील सांचोर जिला जालोर 3. प्रकाश कुमार पुत्र खेताराम जाति मेघवाल निवासी हीरपुरा तहसील रानीवाडा 4. भूमिधारी तहसीलदारजी रानीवाडा 5. उप पंजीयक रानीवाडा 6. हल्का पटवारी पटवार हल्का कुड़ा 7. शाखा प्रबन्धक आई.सी.आई. सी.आई बैंक शाखा रानीवाडा

अन्तर्गत धारा 53, 188 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 44/2020

यह मुकदमा आज इनफिसाल कत्तई रूबरू पक्षकारान व हाजरी वादी की ओर से वकील श्री श्रवणसिंह देवड़ा उपस्थित, प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता श्री पूखराज विश्नोई उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 4 राजपेरोकार तहसीलदार रानीवाडा उपस्थित, मनजानिव मुद्रायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि उभयपक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनमा के अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 3 के बीच बंटवारा की अंतिम डिक्री निम्नानुसार जारी की जाती है।

(अ) **मौजा पाल के खाता संख्या 222 मे खसरा नम्बर 100, 102, 103, 105, 97 रकबा क्रमश 0.27, 0.08, 0.68, 2.25, 2.34 हैक्टेयर जूमले रकबा 5.62 हैक्टेयर।**

क्र. स	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टे0 में	बंटवाडे में आया रकबा हैक्ट0 में	किस्म	लगान राशि
1.	कान्तिलाल पुत्र तलका, मृ0 जमनादेवी पत्नि तलका के का. मु. कान्तिलाल पुत्र तलका नाबालिग नितेश कुमार पुत्र विसाराम प्रवीणकुमार पुत्र विसाराम करीना कुमारी पुत्री विसाराम जरिये कुदरती वली बडे पिता कान्तिलाल पुत्र तलका व मृ. विसाराम के प्रथम	100	0.27	0.27	गै.मू	
		102	0.08	0.08	बारानी दोयम	
		103	0.68	0.68	बारानी दोयम	नियमा

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.08.06 18:10:21 IST
Reason: SelfAttested

	श्रेणी के वारीसान कायम मूकाम नाबा. नितेश कुमार पुत्र वीसाराम , प्रवीणकुमार पुत्र विसाराम, करीनाकुमार पुत्र विसाराम जरिये कुदरती वली बडे पिता कान्तिलाल पुत्र तलका जातियान गरूड़ा निवासीयान जालेरा कल्लां	105	2.25	2.25	बारानी दोयम	नुसार
		97	2.34	2.34	बारानी दोयम	

(ब) **मौजा जालेरा कलां तहसील रानीवाडा की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि खाता संख्या 221 के खसरा नम्बर 15 ,16 ,19, 20, 21, 22, 23 रकबा क्रमश 0.04, 0.08, 2.24, 0. 06, 0.01, 2.24, 0.08 हेक्टेयर जूमले रकबा 4.75 हैक्टेयर ।**

2.	प्रकाश कुमार पुत्र खेताराम 1/2 हिस्सा कौम मेघवाल	15	0.04	0.04	बा.प्र.	नियमा
		16	0.08	0.08	गै.मू. वाली	नुसार
		19	2.24	2.24	चा. दो. जा.दो.	
		20	0.06	0.06	गै.मू. आबादी	
		21	0.01	0.01	गै.मू.बेरा	
		22	2.24	2.24	चा. दो. जा.दो.	
		23	0.08	0.08	गै.मू.रास्ता	

उक्त प्रस्तावित बंटवारे के अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 3 के बीच पृथक पृथक खाते खोलकर एवं मीमोया नक्शा में तरमीम कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार रानीवाड़ा को आदेशित किया जाता है। पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करें। उक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी की जाति है।

बशर्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 22.06.2021 को जारी की गई।

(प्रकाश चन्द्र अग्रवाल)
सहायक कलेक्टर
रानीवाड़ा जिला–जालोर

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दयलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	2	00	स्टाम्प वकालतनामा	2	00
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	ज्वाबदावा	0	00
स्टाम्प वजह सबूत	0	00	स्टाम्प अर्जी	0	00
महनताना वकील	0	00	महनताना वकील	0	00
खर्चा गवाहान	0	00	खर्चा	0	00
फीस कमीष्नर	0	00	फीस कमीष्नर	0	00
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	00	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	00
मुतफरिक	0	00	मुतफरिक	0	00
मौजाना	3	00	मौजाना	2	00

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.08.06 18:10:21 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर ,रानीवाडा, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाश चन्द्र अग्रवाल, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 44 / 2020

वादीगण

1. कांतिलाल पुत्र तलकाराम
2. मृतक विशाराम पुत्र तलकाराम व जमनादेवी पत्नि तलकाराम के का.मू. वारीसान–
   2 / 1 नितेश
   2 / 2 प्रवीण पिसरान विशाराम
   2 / 3 करीना कुमारी पुत्री विशाराम नाबालिंग जरिये संरक्षक वली चाचा कांतिलाल पुत्र तलकाराम जातियान गरूड़ा(गर्ग) निवासीयान पाल तहसील रानीवाडा जिला जालोर

प्रतिवादीगण

1. वीराराम पुत्र तेजाराम
2. सोनी पत्नि तेजाराम जातियान गरूड़ा(गर्ग) निवासी पाल तहसील रानीवाडा हाल निवासी हाड़ेतर तहसील सांचोर तहसील सांचोर जिला जालोर
3. प्रकाश कुमार पुत्र खेताराम जाति मेघवाल निवासी हीरपुरा तहसील रानीवाडा
4. भूमिधारी तहसीलदारजी रानीवाडा
5. उप पंजीयक रानीवाडा
6. हल्का पटवारी पटवार हल्का कुड़ा
7. शाखा प्रबन्धक आई.सी.आई. सी.आई बैंक शाखा रानीवाडा

अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: संशोधित निर्णय :–

दिनांक

इस न्यायालय द्वारा उक्त अनवान मामले में पारित निर्णय दिनांक 22.06.2021 के बिन्दू संख्या 6 (ब) में खातेदार का नाम के कॉलम में ''**प्रकाश कुमार पुत्र खेताराम 1 / 2 हिस्सा कौम मेघवाल** '' के स्थान पर ''**प्रकाश कुमार पुत्र खेताराम कौम मेघवाल** '' का आंशिक संशोधन किया जाता है।

उक्त संशोधन अनूसार डिक्री पर्चा में संशोधन किया जाकर तहसीलदार रानीवाडा को पालना हेतु निर्णय की प्रति मय डिक्री पर्चा भिजवायी जाए।

(प्रकाशचन्द्र अग्रवाल)
सहायक कलक्टर
रानीवाडा (राज0)

संशोधित निर्णय आज दिनांक 27.07.2021 को मेरे द्वारा सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.08.06 18:10:21 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
रानीवाडा (राज0)

संशोधित

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल्स 6–7, जाब्ता दीवानी)

(civil procedure code, Appendix “D”-1)

अज अदालत सहायक कलेक्टर रानीवाडा जिला जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाश चन्द्र अग्रवाल आर.ए.एस.

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. कांतिलाल पुत्र तलकाराम 2. मृतक विशाराम पुत्र तलकाराम व जमनादेवी पत्नि तलकाराम के का.मू. वारीसान– 2/1 नितेश 2/2 प्रवीण पिसरान विशाराम 2/3 करीना कुमारी पुत्री विशाराम नाबालिंग जरिये संरक्षक वली चाचा कांतिलाल पुत्र तलकाराम जातियान गरूड़ा(गर्ग) निवासीयान पाल तहसील रानीवाडा जिला जालोर	**बनाम**	1. वीराराम पुत्र तेजाराम 2. सोनी पत्नि तेजाराम जातियान गरूड़ा(गर्ग) निवासी पाल तहसील रानीवाडा हाल निवासी हाड़ेतर तहसील सांचोर तहसील सांचोर जिला जालोर 3. प्रकाश कुमार पुत्र खेताराम जाति मेघवाल निवासी हीरपुरा तहसील रानीवाडा 4. भूमिधारी तहसीलदारजी रानीवाडा 5. उप पंजीयक रानीवाडा 6. हल्का पटवारी पटवार हल्का कुड़ा 7. शाखा प्रबन्धक आई.सी.आई.सी.आई बैंक शाखा रानीवाडा

अन्तर्गत धारा 53,188 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 11/2018

इस न्यायालय द्वारा उक्त अनवान मामले में पारित अंतिम डिक्री दिनांक 22.06.2021 में ब में खातेदार के कॉलम में ''**प्रकाश कुमार पुत्र खेताराम 1/2 हिस्सा कौम मेघवाल** '' के स्थान पर ''**प्रकाश कुमार पुत्र खेताराम कौम मेघवाल** '' का आंशिक संशोधन किया जाता है।

बशर्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 27.07.2021 को जारी की गई।

(प्रकाशचन्द्र अग्रवाल)
सहायक कलेक्टर
रानीवाडा

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.08.06 18:10:21 IST
Reason: SelfAttested